भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2643

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक)

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के द्वारा परामर्श किए गए हितधारक

2643 श्री नीरज शेखरः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अब तक आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8वें सीपीसी) द्वारा जिन हितधारकों से परामर्श किया जा चुका है उनका ब्यौरा क्या है और किन हितधारकों से अभी परामर्श किया जाना शेष है;

(ख) क्या आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट निर्धारित 18 माह की समय-सीमा से पूर्व प्रस्तुत कर देगा; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क): 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक 03.11.2025 के संकल्प में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आयोग अपने विचार-विमर्श के दौरान अपनी परामर्श प्रक्रिया के विषय में सरकार को अवगत कराता रहेगा।

(ख) और (ग): दिनांक 03.11.2025 के संकल्प के अनुसार, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
